न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट
जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविंद सिंह आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 41 / 2024
किस्म :– प्रार्थना–पत्र
दायर दिनांक : 30.10.2024

निर्णय दिनांक : 10.05.2025

अनवान

नारायणी उर्फ नारू पत्नी नारायण लाल पिता वेणीराम जाति गाडरी निवासी हुँगा का खेडा तहसील सरदारंगढ जिला राजसमन्द हाल निवासी काबरी तहसील सरदारगढ जिला राजसमन्द

.............प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सरदारगढ जिला राजसमन्द (राज.)

..............विपक्षी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

प्रार्थी की ओर से :– अधिवक्ता समुन्द्रसिंह चुण्डावत
विपक्षी की ओर से :– सरकार

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम ओलनाखेडा पटवार हल्का ओलनाखेडा तहसील क्षेत्र सरदारगढ के खाता संख्या नया 262 पुराना 210 के आराजी नम्बर 882 से 889 कुल किता 08 रकबा 1.5700 हैक्टेयर प्रार्थीया की खाते एव आधिपत्य की सामलात कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थीया के पिता के नाम वेणीराम गाडरी के नाम पर पूर्व मे भुमि दर्ज थी तथा मेरे पिता वेणीराम गाडरी की मृत्यु के पश्चात राजस्व अधिकारी द्वारा नामान्तरण ग्राम औलना का खेडा में स्थित कृषि भूमि का नामान्तरण खोला गया जिस समय मुझ प्रार्थीया का नाम नारायणी होने से राजस्व अधिकारीयो द्वारा मुझ प्रार्थीया का नाम नारायणी पिता वेणीराम जाति गाडरी की जगह नाम नारू पुत्र वेणीराम जाति गाडरी राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थीया का आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, भामाशाह कार्ड व सभी बैंक शाखाओ मे असलनाम नारायणी दर्ज है, लेकिन राजस्व अधिकारी द्वारा नारायणी की जगह नारू पुत्र वेणीराम राजस्व रेकोर्ड मे दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थीया का असल नाम नारायणी पुत्री वेणीराम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करने हेतु उक्त त्रुटि के सुधार हेतु प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीया द्वारा राजस्व अधिकारीयो से कई एवं प्रशासन गाँवो के संघ शिविर मे भी कई मर्तबा निवेदन किया गया लेकिन आज दिनांक तक प्रार्थीया का नाम नारायणी पुत्री वेणीराम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही हो सका जिस पर

न्यायालय सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी आमेट

प्रार्थीया को भारी कठिनाईयो का सामना करना पड रहा है। उक्त त्रुटि के सुधार हेतु प्रार्थना पत्र पेश है।

अत श्री मान सें प्रार्थना है कि राजस्व ग्राम औलना का खेडा में स्थित प्रार्थीया की कृषि भुमि मे प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकार्ड मे नारू पुत्र वेणीराम की त्रुटी की जगह नारायणी पुत्री वेणीराम गाडरी करवाऐ जाने का आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। तहसीलदार सरदारगढ द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थिया के पिता वेणीराम का देहान्त होने पर उनका नामां. अम्बालाल नारू पिता वेणीराम के नाम खोला गया। नारू वेणीराम की पुत्री है, लेकिन सेग्रीकेशन जमाबन्दी में नारू पुत्र वेणीराम दर्ज हो गया जो गलत है। नारू, वेणीराम का पुत्र न होकर वेणीराम की पुत्री है तथा नारू प्रार्थीया का बोलता नाम होने से नामान्तरण में नारू दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम नारायणी है। प्रार्थीया की जांच उसके पहचान दस्तावेज से तथा मौतबिरान से की गई जिसमें जाहिर आया कि प्रार्थीया का वास्तविक नाम नारायणी हे। अतः ग्राम ओलनाखेड़ा की जमाबन्दी के खाता संख्या 262 किता 8 रकबा 1.5700 हैक्टेयर में प्रार्थीया का नाम नारू पुत्र वेणा 1/18 के बजाय नारायणी पुत्री वेणा 1/18 किया जाना उचित है तथा ग्राम ओलनाखेडा की जमाबन्दी के खाता संख्या 261 किता 2 रकबा 0.6600 हैक्टेयर में प्रार्थिया का नाम नारू पुत्र वेणा 1/18 के बजाय नारायणी पुत्री वेणा 1/18 किया जाना उचित है तथा ग्राम ओलनाखेडा की जमाबन्दी के खाता संख्या 211 किता रकबा 0.0500 हैक्टेयर में प्रार्थीया का नाम नारू पुत्र वेणा 1/36 के बजाय नारायणी पुत्री वेणा 1/36 किया जाना उचित है।

दौरान कार्यवाही पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर यह ताईद हैं कि नामान्तरण स्वीकृत किया जिसमे प्रार्थीयस के पिता वेणा पिता खेमा जाति गाडरी के फौत होने पर उनका नामांतरण अम्बालाल, नारू पिता वेणीराम के नाम खोला गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज में भी नारायणी पुत्री वेणीराम अंकन होना जाहिर आया हैं। प्रार्थीया का नाम नारू पुत्र वेणीराम के स्थान पर नारायणी पुत्री वेणीराम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य साबित हैं।

:: आदेश ::

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाता हैं एवं राजस्व ग्राम ओलनाखेडा पटवार हल्का ओलनाखेडा तहसील क्षेत्र सरदारगढ के खाता संख्या नया 262 पुराना 210

न्यायालय सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी आमेट

के आराजी नम्बर 882 से 889 कुल किता 08 रकबा 1.5700 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 261 पुराना 210 के आराजी नम्बर 880, 881 किता 02 रकबा 0.6600 हैक्टेयर, खाता संख्या नया 211 पुराना 211 के आराजी नम्बर 878 कुल किता 01 रकबा 0.0500 हैक्टेयर भूमि में नारू पुत्र वेणीराम को विलोपित करते हुए के स्थान पर नारायणी पुत्री वेणीराम राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तुर रहे। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

नोटः— तहसील आमेट/सरदारगढ मे सर्वे—रिसर्वे के दौरान यदि आराजी नम्बर बदल गये हो तो नवीन आराजी नम्बर का नक्शा ट्रेस एवं मिलान खसरा से मिलान करते हुये निर्णय की पालना की जावें। नवीन राजस्व अभिलेख की प्रतियां पालना रिपोर्ट के साथ पुनः इस न्यायालय मे प्रस्तुत करावें।

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला-राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट

(गोविंद सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक 10.05.2025 खुले न्यायालय पर आदेश सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट

(गोविंद सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)